न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **01/2019** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती गंगाबाई बेवा किशनलाल भील, निवासी नीमचमाता स्कीम, नीमच खेड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री सालिगराम पिता किशनलाल भील, निवासी नीमचमाता स्कीम, नीमच खेड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्रीमती मंजू पुत्री किशनलाल भील पत्नि श्री भेरूलाल भील, निवासी, नीमच खेड़ा मेन रोड़, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्यारीबाई पुत्री किशनलाल भील पत्नि श्री दुर्गेश भील, निवासी मनोहरपुरा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1395 आदेश तहसीलदार गिर्वा, निर्णय दिनांक 13.12.2000

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री गिरधारीसिंह राव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री राजमल राव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—11.06.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने नामान्तरकरण संख्या 1395 दिनांक 13.12.2000 मौजा देवाली तहसील बड़गॉव का विधिविरूद्ध निर्णित किया हैं। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील में निवेदन किया गया है कि मौजा देवाली तहसील बड़गॉव के आराजी संख्या 1537 से 1553, 1586 से 1593, 1603 एवं अन्य आराजीयात कुल किता 31 रकबा 2.7050 हैक्टर भूमि स्थित थी। इसमें अपीलान्ट व

रेस्पोडेंट के पति एवं पिता किशनलाल पिता भैरा जी भील (गमेती) का 1/4 हिस्सा निहित था। उनका देहावसान दिनांक 23.09.99 को हुआ। उस दिन कानुनी रूप से वारीस अपीलान्ट सालिगराम (पुत्र) एवं गंगाबाई (पत्नि) ही होते थे। परन्तु मंजु व प्यारी ने अपने नाम पर भी पटवारी हल्का से मिलकर सीधे ही तहसीलदार साहब से नामान्तरकरण खुलवा दिया। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेंटगण मीणा जाती के सदस्य हैं एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाती (मीणा जाती) पर लागु नहीं होता हैं। जनजातीयो में पिता की सम्पत्तियो में पुत्रियो का कोई अधिकार नहीं होता हैं। हस्तगत प्रकरण में पिता के मरने के बाद विरासत से अपने नाम पर भी नामान्तरकरण खुलवा दिया। तहसीलदार साहब ने भी बिना कानुनी जानकारी के नामान्तरकरण प्रमाणित कर दिया। जबकि ऐसे अवैध आदेश को चैलेन्ज करने के लिये कानुन में कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्ध होकर अपीलान्ट को बिना सुने पारित कर दिया गया। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 2 (2) के अनुसार अनुसूचित जनजाती पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय नामान्तरकरण एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है जो काबिल निरस्त के होने से निरस्त फरमाया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण प्रार्थी को बिना सुने तथा सूचना दिये बिना पारित किया गया। ऐसा आदेश एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के हैं। ऐसे प्रकरण में मियाद का बिन्दु लागु नहीं होता हैं। अपीलान्ट को आदेश का ज्ञान 02.01.19 को हुआ। पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अपील पेश करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की हैं। अतः दिनांक 13.12.2000 से दिनांक 02.01.19 तक का समय कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं साथही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण

प्राकृतिक सिद्धांत के अनुरूप ही हैं। यह नामान्तरकरण एबइनिश्योवोईड नहीं हैं। अपीलान्ट को नामान्तरकरण का ज्ञान शुरू से ही था। नामान्तरकरण खुले 18 वर्ष से अधिक समय हो चुका हैं। दिनांक 13.04.12 को आराजी संख्या 1554 में से 1100 वर्गफीट का ईकरार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया था। दिनांक 25.10.13 को श्री शंकरलाल ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट तथा मोतीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग निष्पादित कराया। चुंकी शंकरलाल ने गलत तरीके से इनकी बिना जानकारी हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित करा दिया। जिससे विवाद बनने पर उक्त हकत्याग शंकरलाल ने निष्पादित करा दिया। इसी प्रकार दिनांक 25.10. 13 को श्री नवीन कुमार एक विक्रय विलेख अपीलान्ट रेस्पोडेंट एवं शंकरलाल के पक्ष मे निष्पादित करा दिया। दिनांक 29.08.18 को एक विक्रय ईकरार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट द्वारा शेरेबानु के पक्ष में तथा दिनांक 16.05.18 को एक ईकरार नामा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ने सुनील रजवाणिया के पक्ष में एवं दिनांक 01.08.18 को एक ईकरार नामा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट ने सुनील रजवाणिया के पक्ष में में निष्पादित करा दिया। उक्त दस्तावेज पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी थी। अपने मन में बेईमानी आ जाने से व रेस्पोडेंट को नुकसान पहूॅचाने की नियत से पेश की हैं। अपील पेश करने में घोर लापरवाही बरती हैं। इसलिये इतने लम्बे समय को कण्डोन किया जाना उचित नहीं हैं। मेवाड़ में भील (गमेती) जाति से रिती रिवाज अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पुत्रियो को भी हक मिलता है एवं उनके नाम नामान्तरकरण खुलता हैं। इसलिये उक्त नामान्तरकरण का खोलते वक्त भी रीति रिवाजानुसार सही जॉच कर नामान्तरकरण खोला गया है जो वैध हैं। उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं। इसलिये मेरिट पर भी इस अपील में मजबुत बिन्दु नहीं हैं। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमायी जावें।

एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानुनी प्रावधानानुसार जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ अपील के गुण दोष पर निर्णय नहीं देकर सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णित किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी अवस्था में मियाद अधिनियम पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित फरमाया जावें।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने बिना सूचना दिये पारित किया गया हैं। जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत होकर काबिल निरस्त के हैं। रेस्पोडेंट ने जो केस लॉ बताये है वह स्पष्ट रूप से कह रखा है कि अपील व मियाद के बिन्दु पर

सुनवाई कर मियाद का बिन्दु पहले तय करें। अपील को अगर मियाद में माना जाता है तो उसके साथही बाद में मेरिट का बिन्दु भी तय किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी सुरत में रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त हैं। अपील को मियाद के अन्दर मानी जाकर मेरिट पर फैसला किया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा देवाली की आराजी संख्या 1537 से 1553, 1586 से 1593, 1603 एवं अन्य आराजीयात कुल किता 31 रकबा 2.7050 हैक्टर भूमि स्थित थी। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के पति व पिता किशनलाल पिता भेरा भील का 1/4 हिस्सा निहित था जिनका दिनांक 23.09.99 को देहान्त हो गया। विरासत से रेस्पोडेंट द्वारा पटवारी हल्का से सीधे मिलकर नामान्तरकरण खुलवा दिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट मीणा जाती के सदस्य हैं। जो अनुसूचित जनजाती की श्रेणी में आते हैं। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागु नहीं होता हैं। इस मामले में ओल्ड हिन्दु लॉ ही एप्लीकेबल हैं। जिसमें सम्पत्ति में लड़किया वारिस नहीं होती हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाती के मामले में लागु करना नहीं माना है। पिता के मरने पर लड़किया उसकी वारीस नहीं होती है केवल पत्नि व पुत्र ही वारीस होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने नियमो के विपरीत नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान तब तक लागु नहीं होंगे जब तक की भारत सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करके उसे लागु नहीं कर दिया जाता हैं। और यह विवाद रहित है कि आदिनांक ऐसी कोई अधिसूचना लागू नहीं की गई है पिता की सम्पत्तियो में पुत्रियो को हक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा ही दिये गये हैं। अनुसूचित जनजाती पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु नहीं होने से विरासत पुराने हिन्दु कानुन से ही प्रशासित होगी। जो कि उक्त अधिनियम 1956 लागु होने से पूर्व प्रचलित था। पूर्व में प्रचलित हिन्दु कानुन अथवा अनुसूचित जनजाती समुदाय में सदियो से चली आ रही प्रथा अनुसार पिता की सम्पत्ति में शादिशुदा पुत्रियो को हक नहीं दिया गया है और इस संबध में न्यायिक दृष्टांतो की एक लम्बी श्रंखला हैं। साथही निवेदन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किशनलाल के मरने के बाद खोले गये विरासत के इन्तकाल में अपीलान्टगणो को नहीं सुना गया। नाही कोई सूचना दी गई। मात्र आईएलआर से रिपोर्ट लिये बिना सीधे ही नामान्तरकरण खोल दिया। ऐसे अवैध आदेश को चैलेन्ज करने के लिये कानुन में कोई मियाद मुकर्रर नहीं हैं। तारीख जानकारी के अन्दर अपील पेश की गई हैं। अतः अपील को अन्दर मियाद ली जाकर स्वीकार फरमायी जावें। अपने कथनो की ताईद में आर आर टी 2016 (2) पेज 1436 (आरबी) (डीबी), आर आर टी 2014 (2) पेज

901 एस सी, आर आर टी 2012 (1) पेज 431 आर बी, आर आर डी 2006 (1) पेज 464 एच सी, आर आर डी 2002 पेज 31 आर बी, आर आर डी 1966 पेज 71 (एफबी)(7) डीएनजे 2014 राज 1050, हिन्दु सक्सेशन एक्ट, आर बी जे 2002 पेज 108, आर बी जे 2002 पेज 88, आरबीजे 1998 पेज 43, आर आर डी 1994 पेज 308, आर बी जे 2006 पेज 1, आर आर डी 1994 पेज 506, आर आर डी 1994 पेज 506, आर आर डी 1995 पेज 564, आर बी जे 1994 पेज 360 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी। 18 वर्ष से भी अधिक समय के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें भी मियाद कण्डोन करन का पर्याप्त कारण नहीं बताया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण में दर्ज आराजीयातो के संबंध में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंटगणो द्वारा संयुक्त रूप से काफी विक्रय ईकरार किये हैं। मात्र मन में बेईमानी आ जाने से रेस्पोडेंट को नुकसान पहूॅचाने की नियत से यह अपील पेश की गई हैं। मेवाड़ उदयपुर जिले में भील (गमेती) जाती में रिती रिवाज अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पुत्रियो को भी हक मिलता हैं। उनके नाम नामान्तरकरण खुलता हैं। इसलिये उक्त नामान्तरकरण को खोलते वक्त भी रिती रिवाज अनुसार सही जॉच कर नामान्तरकरण खोला गया हैं। जो वैध हैं। उसमें हस्तक्षेप करने की काई गुंजाईश नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा कई दृष्टांतो में यह भी तय किया जा चुका है कि अपील में पहले मियाद बिन्दु को तय किया जावें। प्रकरण में भी मियाद के बिन्दु पर पहले तय किया जावें। अपने कथनो की ताईद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सिंगल बैंच के प्रकरण संख्य 506/97 निर्णय दिनांक 07.05.99 शकुन बाई एवं अन्य बनाम सीया बाई व अन्य के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई हैं।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा निवेदन किया कि रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाती के व्यक्ति हैं जिनपर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागु नहीं होता था तथा पुराने हिन्दु कानुन अनुसार अनुसूचित जनजाती में लड़कियो का अधिकार नहीं हैं। इसलिये हमारे पिता जी की जायदाद में हमारा अधिकार नहीं है तथा नामान्तरकरण सही नहीं खुला हैं। विरासत से नामान्तरकरण पत्नि व पुत्र के नाम ही खुलना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावें।

मियाद बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्टगणो को बिना सुने बिना सुचना दिये पारित किया गया हैं। ऐसे नामान्तरकरण की अपील किसी भी समय की जा सकती हैं। अपील करने की कोई मियाद अवधि नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलान्ट का मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। अपीलीय नामान्तरकरण विरासत का खोला गया हैं। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेंट मूल पुरूष स्वर्गीय किशनलाल भील के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गीय किशनलाल भील की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में उनके विधिक वारीसान जो कि अपीलान्ट व रेस्पोडेंटगण थे उनके नाम पर खोला गया हैं। परन्तु अपीलान्ट द्वारा यह आपत्ति की जा रही है कि हम जाती से भील (मीणा) है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 लागु नहीं होता हैं। ओल्ड हिन्दु कानुन ही लागु होता है जिसमें लड़किया उत्तराधिकारी नहीं होती हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अनुसूचित जनजाती समुदाय में सदियो से चली आ रही प्रथा अनुसार ही पुत्रियो को सम्पत्ति में अधिकार दिया जाता हैं। अपीलीय नामान्तरकण को खोलते वक्त भी रीति रिवाजो के अनुसार ही सही जॉच की जाकर नामान्तरकरण खोला गया हैं। पुत्रियो को पिता की सम्पत्तियो में जनजाती समुदाय की परम्परागत रूप से हिस्सा नहीं दिये जाने की कोई परम्परा नहीं हैं। ऐसा कोई न्यायिक निर्णय या कस्टमरी लॉ या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में पुत्री को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार के तहत नियमानुसार हिस्सा दिया जाना न्यायोचित हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा देवाली पटवार हल्का शोभागपुरा के अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 1395 निर्णय दिनांक 13.12.2000 में कोई कानुनी त्रुटी नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश को बहाल रखा जाता हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर